

वन भूमि मूल्य का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख भनार डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है प्रयोजन हेतु 1.750 हैक्टेयर वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से मूल्य रू० 400000.00 प्रति है० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू० 700000.00 होता है।


जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

photo of the site


सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
लोकनि(वि) कपकोट

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख भनार डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

सं० ७७७०

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
लो०नि०वि० कपकोट

अधिष्ठाता अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

प्रस्तावित स्थल विशिष्ट होने / न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख भनार डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित स्थल विशिष्ट है।

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
बागेश्वर

Gmsd
वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

Phot. copy attached
(1)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
जोतनि(वि) कपकोट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख भनार डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि याचित 1.750 है० वन भूमि की माँग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। वनभूमि आगणन हेतु 7 मीटर चौड़ाई पर ली गयी है, पेड़ों की गणना भी 7 मीटर चौड़ाई पर की गयी है तथा मार्ग भी 7 मीटर चौड़ाई पर ही बनाया जायेगा। ताकि पेड़ कम से कम प्रभावित हों।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०,
कपकोट

सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०,
कपकोट

(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि
प्रमाणित किया जाता है

अधीनस्थ अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०,
कपकोट

प्रति हस्ताक्षरित
तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
प्रति हस्ताक्षरित
उपजिलाधिकारी

प्रमाणित किया जाता है
प्रमाणित किया जाता है

प्रमाणित किया जाता है
प्रमाणित किया जाता है
भागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भागेश्वर

प्रमाणित किया जाता है
सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
नि०ख०, लो०नि०वि०, कपकोट